# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/छाप्रोप्र/बी/असंपूमैछा/2017–18 दिनांक :– 01-08-18

## विज्ञप्ति

केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों (Muslim, Christian, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi (Zoroastrian) ) से सम्बद्ध राजस्थान प्रदेश में स्थित समस्त विद्यालयों, पंजीकृत मदरसों एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के विद्यालयों, में इस सत्र 2018–19 की कक्षा 1 से 10 तक में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। छात्रवृत्ति हेतु पात्र छात्र/छात्रा द्वारा अपना आवेदन–पत्र नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (National Scholarship Portal URL www.scholarships.gov.in.) पर आवेदन किया जाना है । अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाईट www.minorityaffairs.gov.in. पर भी इस हेतु Link उपलब्ध है।

कक्षा 1 से 10 तक के अल्पसंख्यक समुदायों के समस्त पात्र विद्यार्थीयों को ऑन–लाईन आवेदन करना है। संस्था प्रधान इसमें विद्यार्थियों को आवश्यक मार्गदर्शन व सहायता प्रदान करें । अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नही किए जाऐगें।

- **अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृति नूतन (Fresh) हेतु पात्रता**

1. **वे छात्र–छात्राएं जिनके माता–पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से वार्षिक आय रूपये एक लाख से अधिक न हो। (आय प्रमाण पत्र संलग्न करे)**
2. **वे छात्र–छात्राए जिन्होने गत वर्ष की अर्हककारी परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक/समकक्ष ग्रेड या उससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण की हैं। (अंक तालिका की प्रति संलग्न करे)**
3. एक परिवार के अधिकतम दो विद्यार्थियों को ही यह छात्रवृति देय है। तदनुसार ही आवेदन करे।
4. छात्र/छात्रा द्वारा समान कक्षा और सत्र मे अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं की जा रही हो।

- **अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृति नवीनीकरण (Renewal) हेतु पात्रता**

5. **वे छात्र–छात्राएं जिन्हे गत वर्ष मे अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति उनके बैंक खाते के माध्यम से भुगतान की गई है।**
6. **अन्य समस्त पात्रता शर्ते बिन्दु संख्या 1 से 4 के अनुसार यथावत रहेंगी।**

अधिक जानकारी के लिए विभागीय वेबसाईट **www.education.rajasthan.gov.in/secondary** पर जारी दिशा–निर्देश एवं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर योजनान्तर्गत प्रदर्शित देखें।

अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृति हेतु ऑन–लाईन आवेदन किये जाने की अंतिम तिथि अल्पसंख्यक मामलात विभाग भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा निम्नानुसार घोषित की गई है।

| क्र.स. | कार्य | अंतिम तिथि |
|---|---|---|
| 1 | छात्र–छात्रा द्वारा नूतन (Fresh) छात्रवृति हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि | **30.09.2018** |
| 2 | छात्र–छात्रा द्वारा नवीनीकरण (Renewal) छात्रवृति हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि | **30.09.2018** |

**(नथमल डिडेल)**
**IAS**
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर